न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 18 / 2024 दायरा दिनांक 10.10.2024
GCMS No. 2024/51

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

सिंघराम पुत्र चिन्टू जाति सहरिया निवासी मोहनपुर तहसील शाहबाद जिला–बारां – **अपीलाण्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला–बारां राजस्थान – **रेस्पोडेण्ट्स**

उपस्थित :–

श्री हेमराज नामदेव – अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 21.10.2024

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नम्बर 150 दिनांक 18.07.2001 व 265 दिनांक 30.09.2005 ग्राम मोहनपुर

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी इंतकाल नम्बर 150 दिनांक 18.07.2001 व 265 दिनांक 30.09.2005 ग्राम मोहनपुर को निरस्त करने बाबत इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रमाणित किया गया इंतकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

अपीलान्ट के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम मोहनपुर तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नम्बर 34 / 2 रकबा 5 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 101 / 2 रकबा 5 बीघा किता 2 कुल रकबा 10 बीघा कृषि भूमि स्थित उक्त आराजी खसरा संख्या 101 / 2 मूल खसरा संख्या 101 मे से रकबा 5 बीघा दिनांक 16.06.2000 को तथा आराजी खसरा संख्या 34 / 2 मूल खसरा संख्या 34 में से रकबा 5 बीघा दिनांक 24.12.2004 को आवंटन जरिये अपीलान्ट को प्राप्त हुई है। परन्तु आवंटन का अमल करते समय आराजी खसरा संख्या 101 / 2 रकबा 5 बीघा नामान्तरकरण नम्बर 150 दिनांक 18.07.2001 में तथा आराजी खसरा संख्या 34 / 2 रकबा 5 बीघा नामान्तरकरण नम्बर 265 दिनांक 30.09.2005 में अपीलान्ट का नाम सिंघराम के स्थान पर सियाराम गलत दर्ज कर दिया है, जबकि आवंटन आदेशों में अपीलान्ट का सही नाम सिघराम दर्ज है। दिनांक 24.09.2024 हल्का पटवारी से खाते की नकल प्राप्त करने पर अपीलान्ट को उक्त त्रुटि का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि रिकार्ड निकलवाकर अपीलान्ट ने तहसीलदार शाहबाद को उक्त दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो उन्होने कहा कि उक्त त्रुटि गैरखातेदारी नामान्तरकरण के जरीये हुई है। जिसके लिए आपको सक्षम न्यायालय में अपील करनी होगी तब दुरूस्त होगा अतः अपील सर्वप्रथम ज्ञान से अन्दर मियाद सादर श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत है।

अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल संख्या नामान्तकरण नम्बर 150 दिनांक 18.07.2001 व 265 दिनांक 30.09.2005 ग्राम मोहनपुर की जानकारी दिनांक 24.09.2024 को उस समय हुई जब अपीलान्ट ने उक्त वादग्रस्त आराजी की इन्तकाल की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त की इसलिए अपील पेश करने में हुआ विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरणों में अपीलान्ट का नाम सिंघराम के स्थान पर सियाराम गलत नाम से तस्दीक कर दिया। आवंटन का अमल करते समय आराजी खसरा संख्या 101 / 2 रकबा 5 बीघा नामान्तरकरण नम्बर 150 दिनांक 18.07.2001 में तथा आराजी खसरा संख्या 34 / 2 रकबा 5 बीघा नामान्तरकरण

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 286 दिनांक 30.09.2006 में अपीलान्ट का नाम सियाराम के स्थान पर सियारतम गलत दर्ज कर दिया है, जबकि आवंटन आदेशों में अपीलान्ट का सही नाम सियाराम दर्ज है। अतः सियारतम के स्थान पर सियाराम सही दर्ज करवाते हुए नए सिरे से इन्तकाल तस्दीक किये जावें। सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम सियाराम के स्थान पर सियारतम गलत नाम से तस्दीक कर दिया। पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेशों में अपीलान्ट का नाम सियाराम दर्ज है। अपीलान्ट का नाम सियारतम गलत दर्ज किया गया है, जबकि आवंटन आदेशों में अपीलान्ट का वास्तविक नाम सियाराम है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम मोहनपुर का इन्तकाल नं. 150 दिनांक 18.07.2001 व 286 दिनांक 30.09.2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इन्तकाल नं. 150 दिनांक 18.07.2001 व 286 दिनांक 30.09.2006 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

(रजवर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)